संख्या : 4/2019/2122/छप्पन-2018-115/89टी0सी0

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 16 जनवरी, 2019

विषय: रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित म्योरपुर (सोनभद्र) हवाई पट्टी के विस्तारीकरण में पड़ने वाली बांध खाते की भूमि श्रेणी-6(4) के श्रेणी परिवर्तन व पुनर्ग्रहण हेतु निर्धारित शुल्क जमा किए जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, नागरिक उड्डयन के पत्र संख्याः 396/ना0उ0नि0/2018 दिनांक 30 अक्टूबर, 2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित म्योरपुर (सोनभद्र) हवाई पट्टी के विस्तारीकरण में पड़ने वाली बांध खाते की भूमि श्रेणी-6(4) के श्रेणी परिवर्तन व पुनर्ग्रहण हेतु निर्धारित शुल्क जमा किए जाने के निमित्त कुल रु0 14,97,650/- (रूपए चौदह लाख सत्तानवे हजार छः सौ पचास मात्र) पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित म्योरपुर (सोनभद्र) हवाई पट्टी के विस्तारीकरण में पड़ने वाली बांध खाते की भूमि श्रेणी-6(4) के श्रेणी परिवर्तन व पुनर्ग्रहण हेतु निर्धारित शुल्क जमा किए जाने के निमित्त कुल रु0 14,97,650/- (रूपए चौदह लाख सत्तानवे हजार छः सौ पचास मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस परियोजना पर रु0 14,97,650/- (रूपए चौदह लाख सत्तानवे हजार छः सौ पचास मात्र) के व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

I. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 30 मार्च, 2018 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
II. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/ स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।
III. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
IV. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाए।
V. भूमि प्राप्त करने से पूर्व जिलाधिकारी, सोनभद्र द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्राप्त की जाने वाली भूमि एयरपोर्ट निर्माण से संबंधित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मास्टर प्लान/ लेआउट प्लान के अनुसार है। भूमि क्रय से पूर्व इस आशय की पुष्टि प्रमाण पत्र जिला प्रशासन द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से प्राप्त करके शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

VI. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/ कास्ट ओवर रन न हो | अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212(vii) में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा |

VII. प्रश्नगत स्वीकृति निदेशक, नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर दी जा रही है | यदि इस संबंध में कोई सूचना गलत पाई जाती है, तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश का होगा |

3- उक्त स्वीकृत धनराशि रु0 14,97,650/- (रूपए चौदह लाख सत्तानवे हजार छ: सौ पचास मात्र) को आहरित कर तत्काल जिलाधिकारी, सोनभद्र के निर्वतन पर रखा जायेगा और यथा आवश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

4- जिलाधिकारी, सोनभद्र द्वारा उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने के पश्चात् निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 तथा निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा उत्तर प्रदेश शासन को यथासमय सूचित किया जाएगा।

5- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-38 के पूंजीगत लेखाशीर्षक ''5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20 हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24 वृहत निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या: ई-7- 30/दस-2019, दिनांक 15 जनवरी, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

संख्याः 4/2019/2122(1)/छप्पन-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
(3) मण्डलायुक्त, मिर्जापुर।
(4) जिलाधिकारी, सोनभद्र।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, सोनभद्र।
(6) निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4/राजस्व अनुभाग-13
(8) समीक्षा अधिकारी (बजट)।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in